फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी **मुकाम** बाप (फलोदी)

भवरकंवर पत्नी चन्दनसिंह **बनाम** शैतानसिंह पुत्र किशनसिंह वगैरा

किस्म मुकदमा 212(1) आर.टी.एक्ट **मु.नं.** 258/2024 सन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.2024	राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212(1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थीया द्वारा जरिये अधिवक्ता विरूद्ध अप्रार्थीगण के पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीया की प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन एवं बहस पर मनन करने से पाया गया कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के आधार पर प्रकरण प्रथम दुष्टया अपूर्णनीय क्षति का प्रतीत होता है अतः ग्राम बारू पटवार हल्का बारू तहसील बाप के खसरा नम्बर 1231 रकबा 100.2242 हैक्टेयर भूमि में अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी तक प्रार्थीया के पक्ष में और अप्रार्थी संख्या 1 ता 24 के विरूद्ध इस आशय की जारी की जाती है कि उक्त वादग्रस्त अराजी में प्रार्थीया के शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी न तो अप्रार्थी संख्या 1 ता 24 स्वंय करे और न ही किसी अन्य से करावे तथा मौके एवं राजस्व अभिलेख की यथास्थिति बनाये रखे। उक्त स्थगन आदेश इस शर्त पर दिया जाता है कि अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा जबाव पेश होने पर बहस हेतु एक से अधिक बार समय मांगने पर स्थगन आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावे। अधिवक्ता प्रार्थीया अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजि. एडी. से करवाकर रसीदे तीन दिवस में पेश करे। पत्रावली दिनांक 30.10.2024 को पेश हो। [signature] 29/10 सहायक कलक्टर बाप (फलोदी)	
0 10/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु भेजे Rg डॉक के नोटिस की डॉक रसीद पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। अप्रार्थी सं. 10, 13, 14, 15 की तरफ से वकील श्री मदनसिंह भाटी ने U/T की। पत्रावली वास्ते इन्तजार तलबी / वकालतनामा दिनांक 18/11/24 को पेश हो। [signature]	अप्रार्थीगण संख्या 10, 13, 14, 15 की तरफ से U.T. Madan Singh [signature]
/11/2024	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। वकील अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थिया मूल वाद में पक्षकार नही तथा उक्त वादग्रस्त आराजी पर पूर्व मे अप्रार्थीगण के पक्ष मे अस्थायी निषेधाज्ञा जारी हो रखी है। वकील प्रार्थिया ने तथ्यो को छुपाकर अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त की है जो विधिक रूप से गैर-कानूनी है। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली मे उपलब्ध	

दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना-पत्र पोषणीय नही होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बा-तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.11.2024 को मेरे द्वारा लिखा जाकर सरे-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)